राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 984/2017

तालिब हुसैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला बूंदी।
4. टीकम चंद कांस्टेबल, नम्बर–110, जिला बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.07.2017
आदेश की दिनांक : 04.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.10.2001 (अनुलग्नक–1) द्वारा कांस्टेबल के पद पर बूंदी जिले में हुई थी। अपीलार्थी का नाम मेरिट सूची में क्रम संख्या 5 पर है उसने दिनांक 02.11.2001 को कार्यग्रहण किया और अपीलार्थी स्नात्तक योग्यताधारी है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को आदेश दिनांक 23.10.2001 द्वारा जिला कोटा ग्रामीण में नियुक्त किया गया था और दिनांक 28.10.2001 को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया (अनुलग्नक–2)। इसके पश्चात निजी प्रत्यर्थी को प्रत्यर्थी संख्या–3 के आदेश दिनांक 21.06.2004 (अनुलग्नक–3) द्वारा स्वयं के अनुरोध पर जिला कोटा ग्रामीण से जिला बूंदी में स्थानांतरित कर दिया। अपीलार्थी का तर्क है कि वर्ष 2015 तक जिला बूंदी में तैनात कांस्टेबलों की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी को हमेशा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 से ऊपर रखा जाता था। दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 301 पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का नाम क्रम संख्या 314 पर रखा गया (अनुलग्नक–4)। पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा जारी वर्ष 2016–17 की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने से पहले ही जिला बूंदी में हेड कांस्टेबल की पदोन्नति परीक्षा हेतु पात्र कांस्टेबलों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना दिनांक 24.09.2016 जारी की (अनुलग्नक–5)। इस अधिसूचना के साथ प्रतिनियुक्ति पर तैनात कांस्टेबलों की पोस्टिंग दर्शाने वाली एक सूची संलग्न की गई थी जिसमें अपीलार्थी की पोस्टिंग

एटीएस जयपुर में क्रम संख्या 28 पर दिखाई गई है (अनुलग्नक–6)। समय पर आवेदन और उसके बाद दिनांक 09.03.2017 को आउटडोर परीक्षण आयोजित करने के लिए दिनांक 02.03.2017 के माध्यम से एक आदेश जारी किया गया था और इस आदेश के साथ पात्र कांस्टेबलों की एक सूची जारी की गई थी जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 64 पर है (अनुलग्नक–7)। इसके पश्चात अपीलार्थी आउटडोर परीक्षा में शामिल हुआ और भाग । में उत्तीर्ण होने के बाद भाग–2 के लिए बुलाया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अंतिम परिणाम जारी किया गया और बोर्ड द्वारा तैयार की गई चयन सूची के आधार पर अपीलार्थी को अपात्र घोषित कर दिया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 टीकम चंद का नाम क्रम संख्या 22 पर दर्शाया गया था (अनुलग्नक–8)। जानकारी करने पर पता हुआ कि दिनांक 01.04.2016 को स्थिति दर्शाने वाली वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की वरिष्ठता को अपीलार्थी से उपर अपग्रेड कर दिया गया है एवं वह वरिष्ठ होने से चयनित हो गया। अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की पदोन्नति सूची प्राप्त की तब पता चला कि अपीलार्थी की वरिष्ठता को घटाकर क्रम संख्या 302 कर दिया गया औ निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की वरिष्ठता को अपीलार्थी से उपर 292 पर रखा गया। वरिष्ठता सूची की प्रति अनुलग्नक–9 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी का कथन है कि वरिष्ठता सूची उसे सूचित नहीं की गई है या एटीएस के कार्यालय द्वारा नोट नहीं की गई है अन्यथा उसने उसी समय इस पर आपत्ति जताई होती। अपीलार्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक बूंदी को एक अभ्यावेदन वरिष्ठता सूची में बिना सूचना एवं आक्षेप प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना बदलने के विरोध में प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक–10)। जिसमें अंकित किया गया कि वर्ष 2016–17 की वरिष्ठता सूची में परिवर्तन किया जाये। अपीलार्थी ने इस आशय का अभ्यावेदन प्रत्यर्थी संख्या एक को भी दिया (अनुलग्नक–11)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि दिनांक 01.04.2016 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की वरिष्ठता आदेश दिनांक 14.12.2016 द्वारा गलत रूप से निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 से नीचे रखी गई है, जिसे निरस्त किया जावे एवं आदेश दिनांक 25.04.2017 द्वारा गलत वरिष्ठता सूची के आधार पर तैयार की गई कांस्टेबलों की चयन सूची को प्रत्यर्थी संख्या–4 की हद तक निरस्त किया जावे एवं आदेश दिनांक 14.12.2016 द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के संबंध में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु चयन को अपास्त किया जावे। अपीलार्थी की वरिष्ठता निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के उपर निर्धारित की जावे एवं उसके द्वारा टेस्ट उत्तीर्ण

करने की दशा में वरिष्ठता अनुसार उसका नाम चयन सूची में रखा जाकर उसे पीसीसी हेतु भेजा जाकर वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति एवं पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पर पदोन्नति हेतु विभागीय योग्यात्मक परीक्षा के संबंध में दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में कानि० ए.पी/सी.पी. की अस्थायी (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी की गई। उक्त वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी के साथ ही अन्य सभी कांस्टेबलों को सूचित किया गया था कि यदि किसी कानि० को वरिष्ठता सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित समयावधि में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। ताकि उस पर विचार कर नियमानुसार निस्तारित किया जा सकें। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में तत्समय किसी प्रकार की आपत्ति संबंधी अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्य कांस्टेबलों से प्राप्त अभ्यावेदनो का निस्तारण करने हेतु पुलिस मुख्यालय से मार्ग–दर्शन प्राप्त कर अस्थायी वरिष्ठता सूची में नियमानुसार संशोधन किया जाकर दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में स्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई। जिसमें अपीलार्थी की वरिष्ठता श्री टीकमचंद कानि० 224 के नीचे निर्धारित हुई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी तालिब हुसैन कानि० नं० 47/118 को भी सूचित किये जाने हेतु उक्त अस्थायी (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची पुलिस अधीक्षक ए०टी०एस० जयपुर को भिजवाई गई, इस क्रम में उप अधीक्षक पुलिस (प्रशासन) ए०टी०एस० जयपुर ने पत्र दिनांक 19.07.2016 के माध्यम से श्री तालिब हुसैन, कानि० नं0 47/118 को सूचित करना अवगत करवाया गया था। अस्थायी वरिष्ठता सूची के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनो का नियमानुसार परीक्षण कर पुलिस मुख्यालय मार्गदर्शन प्राप्त किया जाकर नियमानुसार दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में स्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई। उक्त स्थायी वरिष्ठता सूची की प्रति भी पुलिस अधीक्षक ए०टी०एस० जयपुर को भिजवाई गई। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में कानि० से हैड कानि० के पदो पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय योग्यात्मक परीक्षा आयोजित कराने से पूर्व दिनांक 01.04. 2016 की स्थिति में कांस्टेबलों की अस्थायी (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी कर संबंधित कांस्टेबलों को इस पर आक्षेप/आपत्ति होने पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर इन अभ्यावेदनों का निस्तारण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में तत्समय किसी प्रकार की आपत्ति होने संबंधी अपना कोई अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विभागीय नियमो

के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2016 के संदर्भ में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की वरिष्ठता गलत रूप से निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 से नीचे रखी जाने से अपीलार्थी हेड कांस्टेबल पद या पदोन्नति से वंचित रहने के आधार पर प्रस्तुत की है। अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 22.10.2001 (अनुलग्नक–1) द्वारा कांस्टेबल के पद पर बूंदी जिले में हुई थी। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को आदेश दिनांक 23.10.2001 द्वारा जिला कोटा ग्रामीण में नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात निजी प्रत्यर्थी ने आदेश दिनांक 21.06.2004 (अनुलग्नक–4) द्वारा स्वयं के अनुरोध पर जिला कोटा ग्रामीण से जिला बूंदी में स्थानान्तरण करवा लिया। अपीलार्थी का तर्क है कि वर्ष 2015 तक जिला बूंदी में तैनात कांस्टेबलों की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी को हमेशा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 से ऊपर रखा जाता था। दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 301 पर एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 टीकमचंद का नाम क्रम संख्या 314 पर रखा गया। जबकि दिनांक 01.04.2016 के सन्दर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी को क्रम संख्या 302 एवं निजी प्रत्यर्थी टीकमचंद को क्रम संख्या 292 पर रख कर अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी से कनिष्ठ दिखाया गया। वर्ष 2016–17 की कांस्टेबल पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय योग्यात्मक परीक्षा में अपीलार्थी ने भाग लिया एवं अपीलार्थी आउटडोर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भाग–2 के लिए बुलाया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अंतिम परिणाम जारी किया गया और गठित बोर्ड द्वारा तैयार की गई चयन सूची में अपीलार्थी का चयन तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 टीकम चंद का नाम चयन सूची में क्रम संख्या 22 पर दर्शाया गया था (अनुलग्नक–8)। अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की पदोन्नति सूची में उसकी वरिष्ठता को घटाकर क्रम संख्या 302 कर दिया गया औ निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की वरिष्ठता को 292 पर किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि उसे वरिष्ठता सूची उपलब्ध नहीं करवाई गयी अन्यथा उसने उसी समय इस पर आपत्ति जताई होती। प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त विभागीय योग्यात्मक परीक्षा के संबंध में दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में कानि० ए.पी/सी.पी. की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई। उक्त वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी के साथ ही अन्य सभी कांस्टेबलों को सूचित किया

गया था कि यदि किसी कानि० को वरिष्ठता सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित समयावधि में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, ताकि उस पर विचार कर नियमानुसार निस्तारित किया जा सकें। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में तत्समय किसी प्रकार की आपत्ति संबंधी अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पश्चात स्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई। जिसमें अपीलार्थी की वरिष्ठता श्री टीकमचंद के नीचे निर्धारित हुई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी तालिब हुसैन को भी सूचित किये जाने हेतु उक्त अस्थायी वरिष्ठता सूची पुलिस अधीक्षक ए०टी०एस० जयपुर को भिजवाई गई, इस क्रम में उप अधीक्षक पुलिस (प्रशासन) ए०टी०एस० जयपुर ने पत्र दिनांक 19.07.2016 के माध्यम से श्री तालिब हुसैन को सूचित करना अवगत करवाया गया था। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में तत्समय किसी प्रकार की आपत्ति होने संबंधी अपना कोई अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया। अंतिम वरिष्ठता सूची ए.टी.एस जयपुर को भिजवाई गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियुक्ति तिथी प्रत्यर्थी संख्या–4 से पहले प्रत्यर्थी विभाग में कांस्टेबल के पद पर हुई। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की कोटा में प्रथम नियुक्ति के पश्चात स्वयं के निवेदन पर जिला बूंदी में वर्ष 2004 में स्थानान्तरण किया गया। विभागीय परिपत्र दिनांक 10.01.2008 के अनुसार अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 से वरिष्ठ है एवं 2015 की वरिष्ठता सूची में भी अपीलार्थी का नाम क्रमांक 301 पर एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का क्रम संख्या 314 पर अंकित है। फिर अचानक वर्ष 2016 की वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को क्रम संख्या 292 एवं अपीलार्थी को क्रम संख्या 302 पर रख कर अपीलार्थी से निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को वरिष्ठ कर दिया। पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा वरिष्ठता के संबंध में पुलिस मुख्यालय से पूछे गये मार्गदर्शन के प्रत्युत्तर में भी पुलिस मुख्यालय ने परिपत्र दिनांक 10.01.2008 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। कांस्टेबल पुलिस सेवा का निम्नतर एवं 100 प्रतिशत सीधी भर्ती का पद है। साल दर साल इसमें कार्मिक की पदोन्नति/सेवानिवृत्ति इत्यादि से वरिष्ठता बढ़ती है परन्तु अपीलार्थी के मामले से उल्टी स्थिति है। अपीलार्थी वर्ष 2015 की वरिष्ठता सूची (1/4/2015) में वरीयता क्रमांक 301 पर था एवं 2016 की वरिष्ठता सूची (1/4/2016) में वरीयता क्रमांक 302 पर दिखाया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में मात्र तकनीकी आधार लिया कि अपीलार्थी ने प्रोविजनल वरिष्ठता सूची के संबंध में कोई एतराज/आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने के कारण वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया जाकर पदोन्नति कार्यवाही की गई। प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया कि अचानक 2016 की वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थी अपीलार्थी से

वरिष्ठ कैसे हो गया एवं अपीलार्थी का वरिष्ठता क्रम नीचे कैसे आ गया। वरिष्ठता में बदलाव करने के पीछे युक्तियुक्त आधार/कारण होना अनिवार्य है। कोई भी राजकीय कर्मचारी यह अपेक्षा नहीं करता कि अकारण ही उसकी वरिष्ठता को बिना सूचना दिए प्रभावित कर दिया जायेगा। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया कि अपीलार्थी को हेड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2016–17 में पदोन्नति हेतु चयन वरिष्ठता के कारण नहीं किया या योग्यात्मक परीक्षा में असफल रहने के कारण नहीं किया गया।

अतः हम यह पाते है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता को वर्ष 2016 में बिना किसी कारण/आधार के प्रभावित करना एवं कनिष्ठ को सूची वरिष्ठता प्रदान करने की कार्यवाही नियमानुसार नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2016 की बूंदी जिले के कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम सही वरीयता क्रम पर निर्धारित रखे। तत्पश्चात अपीलार्थी 2016 में हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय योग्यात्मक परीक्षा में सफल पाया जाता है एवं उसकी सही वरिष्ठता निर्धारण के पश्चात चयन सूची में वरिष्ठता के आधार पर स्थान पाता है तो उसे नियमानुसार पीसीसी में भेजा जाकर वर्ष 2016 की रिक्तियों के विरूद्ध हेड कांस्टेबल के पद पर नियमानुसार पदोन्नति प्रदान की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य